

**Eastern Railway
(Personnel Department)**

Serial Circular No. 20/2015

No. E.637/0/I/Vol.V

Kolkata, Dated: 04/03/2015

All Concerned

Sub: Reckoning of 30% pay element for the purpose of payment towards leave encashment upto 10 days to running staff.

Railway Board's instructions contained in letter No. E(P&A)II-2011/RS-20 dated 12.02.2015 (**RBE No.10/2015**) on the above noted subject are forwarded herewith for information, guidance and necessary action. Board's earlier letter dated 29.10.2008 mentioned therein, was circulated under this office serial No. 135/2008.

DA: Hindi Version.

80/3/15
(S. K. Chattopadhyay)
Asstt. Personnel Officer/HQ
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24122

Copy of Board's letter No. E(P&A)II-2011/RS-20 dated 12.02.2015 (**RBE No.10/2015**) addressed to the GMs/All Indian Railways & others.

Sub: Reckoning of 30% pay element for the purpose of payment towards leave encashment upto 10 days to running staff.

Board have issued instructions vide letter No. F(E)III/2008/LE-1/1 dated 29.10.2008 on encashment of leave while in service.

2. Some of the Zonal Railways had sought clarification whether 30% pay element is to be reckoned for the purpose of leave encashment upto 10 days of LAP to the running staff.

3. The matter has been considered by the Board and it is clarified that in the case of Running Staff, the calculation of leave encashment upto 10 days will be done in the same manner as in the case of leave salary in terms of Rule 25(i)(k) of "The Rules for the payment of Running and other Allowances to the Running staff on Railways, 1981."

4. An illustration of the above is shown below:

(i) Basic Pay in general	=	Basic in Pay Band + Grade Pay	
	=	BP	
(ii) Basic Pay of running staff	=	130% of BP	=(A)
(iii) DA rate in general	=	DA%	
(iv) DA for running staff	=	DA% of (A)	=(B)
(v) Leave encashment for 1 days	=	$\frac{A+B}{30}$	

5. Other terms and conditions on encashment of leave will remain the same.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Sd/- (K. Shankar)
Director Estt. (P&A)
Railway Board.

Index No. 1046 Calculation of leave encashment upto 10 days of LAP to the running staff.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 10/2015

सं. ई(पी एण्ड ए) 11-2011/आर एस-20

नई दिल्ली, दिनांक 19.02.2015

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि.

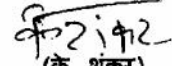
(डाकसूची सं. 1 और 11 के अनुसार).

विषय:- रनिंग स्टाफ को 10 दिन तक के छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के प्रयोजन के लिए 30% वेतन के एलिमेंट की गणना करना.

बोर्ड ने सेवा के दौरान छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में दिनांक 29.10.2008 के पत्र सं. एफ(ई)111/2008/एलई-1/1 के माध्यम से अनुदेश जारी किए हैं।

2. कुछ क्षेत्रीय रेलों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रनिंग स्टाफ को 10 दिन तक की एलएपी के छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए 30% वेतन के एलिमेंट की गणना की जानी है अथवा नहीं.
3. बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग स्टाफ के मामले में 10 दिन तक के छुट्टी नकदीकरण की गणना उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से "रेलों के रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग और अन्य भत्ते का भुगतान नियम, 1981" के नियम 25(i) (के) अनुसार छुट्टी वेतन के मामले में की जाती है।
4. उपर्युक्त को एक उदाहरण के रूप में नीचे दर्शाया गया है:

(i) सामान्यतः मूल वेतन	=	पे बैंड में मूल वेतन + ग्रेड पे
	=	मूल वेतन
(ii) रनिंग स्टाफ का मूल वेतन	=	मूल वेतन का 130% = (क)
(iii) सामान्यतः महंगाई भत्ते की दर	=	महंगाई भत्ता%
(iv) रनिंग स्टाफ का महंगाई भत्ता	=	(क) का महंगाई भत्ता% = (ख)
(v) एक दिन का छुट्टी नकदीकरण	=	$\frac{क + ख}{30}$
5. छुट्टी नकदीकरण की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी
6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
7. कृपया पावती दें।


(क. शंकर)

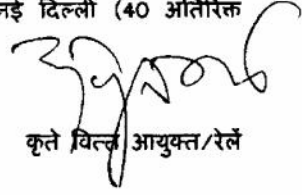
निदेशक स्थापना(पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए) 11-2011/आर एस-20

नई दिल्ली, दिनांक 19.01.2015

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)



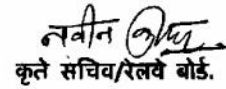
कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं. ई(पी एण्ड ए) 11-2011/आर एस-20

नई दिल्ली, दिनांक 19.01.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (iii) राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (v) सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (vii) सचिव, इंडियन रेलवे क्लास-11 ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (ix) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (x) सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (xi) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लॉईज एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (xii) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लॉईज एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.